रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 जनवरी, 1987/13 पौष, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 सितम्बर, 1986

संख्या डी० एल० आर-4/86.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश एनशियण्ट एण्ड हिसटारिकल मान्यूमेंण्ट एण्ड आर्किअलोजिकल साइट एण्ड रिमेन्ज ऐक्ट, 1967" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर

को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 32)

(30 जून, 1986 को यथा विद्यमान)

(2 अगस्त, 1976)

राष्ट्रीय महत्व रखने वालों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के परिरक्षण का पुरातत्वीय उत्खननों के विनियमन का और रूपकृतियों, नक्काशी और अन्य ऐसी वस्तुओं के संरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1976 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक या कोई स्तूप या कब्रिस्तान या कोई गुफा शैल रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक का स्थल,

(iii) प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग, जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक नहीं है जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।

(ख) "पुरावशेष" के अन्तर्गत है, कम से कम सौ वर्ष से विद्यमान,—

(i) कोई सिक्का, रूपकृति, हस्तलेख, पुरालेख या अन्य कलाकृति या कारीगरी का काम,

(ii) कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जो निर्माण या गुफा से विलग्न है,

(iii) कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जो गत युगों के विज्ञान कला, कारीगरियों, साहित्य, धर्म रूढ़ियों, नैतिक आधार या राजनीति की दृष्टान्तस्वरूप है,

(iv) ऐतिहासिक रुचि की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज, तथा

(v) कोई वस्तु, पदार्थ या चीज जिसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुरावशेष होना सरकार ने अधिसूचना द्वारा घोषित किया है।

(ग) "पुरातत्व अधिकारी" से सरकार का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन पुरातत्व अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा कोई अन्य अधिकारी भी है।

(घ) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष हैं, या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हैं और, इनके अन्तर्गत हैं,—

(क) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, और

(ख) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नहीं है जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है,

(ग) "निदेशक" से पुरातत्व निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अधिनियम के अधीन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है,

(घ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है,

(ङ) अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत है किसी संरक्षित संस्मारक को बाढ़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मुरम्मत करना, उसका पुनरुद्धार करना, उसको व्यवस्थित करना और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस में सुविधापूर्ण जाना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है,

(च) "स्वामी" के अन्तर्गत है, —

(1) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबन्ध करने की शक्तियां निहित हैं, और किसी एसे स्वामी के हक उत्तराधिकारी, और

(2) प्रबन्ध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबन्धक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबन्धक या न्यासी का पद उत्तरवर्ती,

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ज) "संरक्षित क्षत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, और

(ञ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संरक्षित संस्मारक घोषित किया गया है ।

प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का संरक्षण

3. सभी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा सभी पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को, जिन्हें एन्शियन्ट मान्यूमन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 (1904 का 7) द्वारा क्रमशः संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, किन्तु जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष समझा जाएगा, जिसे संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है । कतिपय प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों आदि का संरक्षित संस्मारक और क्षेत्र होना समझा जाना ।

4. (1) जहां सरकार की यह राय है कि किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को, जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किया गया है और जो धारा 3 के अन्तर्गत नहीं आता है, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण की अपेक्षा है, वहां ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को, यथास्थिति, संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के अपने आशय का अधिसूचना द्वारा दो मास का नोटिस दे सकेगी और हर ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, यथास्थिति, संस्मारक या स्थल और अवशेष के समीप किसी सहज दृश्य स्थान में लगा दी जाएगी । प्राचीन संस्मारकों आदि को संरक्षित संस्मारक और क्षेत्र घोषित करने की सरकार की शक्ति ।

(2) ऐसे किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् दो मास के भीतर संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर आक्षेप कर सकेगा ।

(3) उक्त दो मास की कालावधि के अवसान पर सरकार उन आक्षेपों के, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर, विचार करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा यथास्थिति, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, जब तक और जहां तक कि वह प्रत्याहृत नहीं कर ली जाती है इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष, जिसके सम्बन्ध में वह अधिसूचना है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र है ।

संरक्षित संस्मारक

5. (1) निदेशक, सरकार की स्वीकृति से, किसी संरक्षित संस्मारक का क्रय कर सकेगा, या पट्टा ले सकेगा, या दान या वसीयत प्रतिगृहीत कर सकेगा । संरक्षित संस्मारक में अधिकारों का अर्जन

(2) जहां कोई संरक्षित संस्मारक बिना स्वामी का है, वहां निदेशक अधिसूचना द्वारा उस संस्मारक की संरक्षकता सम्भाल सकेगा ।

(3) किसी संरक्षित संस्मारक का स्वामी, लिखित लिखत द्वारा निदेशक को उस संस्मारक का संरक्षक नियत का सकता है, और निदेशक, सरकार की मन्जूरी से एसी संरक्षता प्रतिगृहीत कर सकता है ।

(4) जब निदेशक ने उप-धारा (3) के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षता प्रतिगृहीत कर ली है, तब स्वामी इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय संस्मारक में वही सम्पदा अधिकार, हक और हित रखेगा मानो कि निदेशक उसका संरक्षक नहीं नियत किया गया है और धारा 6 के अधीन निष्पादित करारों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उप-धारा (3) के अधीन निष्पादित लिखत को लागू होंगे ।

(5) इस धारा की कोई भी बात रूढ़िगत धार्मिक आचारों के लिए किसी संरक्षित संस्मारक के उपयोग पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

संरक्षित संस्मारक का करार द्वारा परिरक्षण ।

6. (1) निदेशक, जब कि उसे सरकार द्वारा ऐसे निर्दिष्ट किया जाए, किसी संरक्षित संस्मारक के स्वामी से संस्मारक के अनुरक्षण के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सरकार से करार करने के लिए प्रस्थापना करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन का कोई करार निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगा; अर्थात्,—

(क) संस्मारक का अनुरक्षण ;

(ख) संस्मारक की अभिरक्षा और उस व्यक्ति के कर्तव्य जो उसकी रखवाली करने के लिए नियोजित किया जाए ;

(ग) स्वामी के —

(1) किसी प्रयोजन के लिए संस्मारक का उपयोग करने के,

(2) संस्मारक में प्रवेश या उसक निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभारित करने, के

(3) संस्मारक के नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने या विरूपित करन के, या

(4) संस्मारक क स्थल पर या उसके समीप निर्माण के अधिकार का निर्बन्ध;

(घ) पहुंच की सुविधाएं जो जनता को या उसके किसी अनुभाग को या पुरातत्व अधिकारियों को या किसी पुरातत्व अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, संस्मारक के निरीक्षण या अनुरक्षण के लिए, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञात की जानी है ;

(ङ) उस दशा में जिसमें वह भूमि जिस पर संस्मारक स्थित है, या उससे लगी हुई भूमि स्वामी द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाती है, वह सूचना जो सरकार को दी जानी है और ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के किसी विनिर्दिष्ट प्रभाग को उसके बाजार भाव पर क्रय करने का वह अधिकार जिसे सरकार के लिए आरक्षित किया जाना है ;

(च) संस्मारक के अनुरक्षण के सम्बन्ध में स्वामी द्वारा या सरकार द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय ;

(छ) जब कि संस्मारक के अनुरक्षण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई व्यय उपगत किए जाते हैं, तब वे साम्पतिक या अन्य अधिकार जो संस्मारक के विषय में सरकार में निहित होने हैं ;

(ज) करार से उद्भूत होने वाले किसी विवाद का विनिश्चय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति; और

(झ) संस्मारक के अनुरक्षण से सम्बन्धित कोई विषय जो स्वामी और सरकार के बीच करार का उचित विषय है ।

(3) सरकार या स्वामी इस धारा के अधीन किसी करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी समय दूसरे पक्षकार को छः मास की लिखित सूचना देकर उसे समाप्त कर सकेगा :

परन्तु जहां कि करार स्वामी द्वारा समाप्त किया जाता है वहाँ वह सरकार को, करार की समाप्ति से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान या यदि करार अल्पतर कालावधि के लिए प्रवृत रहा है, तो करार के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, उसके द्वारा संस्मारक के अनुरक्षण पर उपगत व्यय, यदि कोई हों, संदत्त करेगा।

(4) इस धारा के अधीन, कोई करार, उस पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार से के द्वारा या क अधीन, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से करार निष्पादित किया गया था, उस संस्मारक का जिसके सम्बन्ध में वह करार है स्वामी होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

संरक्षित संस्मारक के सम्बन्ध में जब स्वामी निर्योग्यताधीन है या जब वह ग्राम की सम्पत्ति है, तो धारा 6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति।

7. (1) यदि संरक्षित संस्मारक का स्वामी अवयस्कता या अन्य निर्योग्यता के कारण, अपने लिए काय करने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति, जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए विधिक रूप में सक्षम है, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो धारा 6 द्वारा स्वामी को प्रदत्त हैं।

(2) ऐसे संरक्षित संस्मारक की दशा में, जो ग्राम की सम्पत्ति है, ग्राम की पंचायत जहां ऐसी सम्पत्ति पंचायत में निहित है या जहां ऐसी सम्पत्ति पंचायत में निहित नहीं है, ऐसी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने की शक्तियों का प्रयोग करन वाला कोई ग्राम अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो धारा 6 द्वारा स्वामी को प्रदत्त हैं।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उस धर्म का न हो जिसका कि वह व्यक्ति है, जिसकी ओर से वह कार्य कर रहा है उस संरक्षित संस्मारक क सम्बन्ध म, जो या जिसका कोई भाग कालिकत: उस धम को धार्मिक पूजा या आचारों के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसी करार को करने या निष्पादित करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।

संरक्षित संस्मारक की मुरम्मत के लिए विन्यास का उपयोजन।

8. (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो किसी संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 6 के अधीन करार करने के लिए सक्षम है, ऐसा करार करने से इन्कार करता है या करने में असफल रहता है, और यदि ऐसे संस्मारक की मुरम्मत करने के प्रयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों में से इस प्रयोजन के लिए भी किसी विन्यास की सृष्टि की गई है, तो सरकार, एसे विन्यास या उसके भाग के उचित उपयोजन के लिए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगी या, यदि संस्मारक की मुरम्मत कराने का प्राक्कलित व्यय एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, तो जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की सुनवाई पर, जिला न्यायाधीश, स्वामी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका साक्ष्य उसे आवश्यक प्रतीत होता है, समन कर सकेगा, और उनकी परीक्षा कर सकेगा और उस विन्यास या उसके किसी भाग के उचित उपयोजन के लिए आदेश पारित कर सकेगा और एसा कोई आदेश ऐसे निष्पादित किया जाएगा मानो कि वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो।

करार करने में असफलता या करार करने से इन्कार।

9. (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 6 के अधीन करार करने के लिए सक्षम है, ऐसा करार करने से इन्कार करता है या करने में असफल रहता है, तो सरकार धारा 6 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबन्ध करने वाला आदेश दे सकेगी और ऐसा आदेश स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति पर और स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति से व्युत्पन्न अधिकार से, के द्वारा या के अधीन, संस्मारक में हक का दावा करने वाले हर व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन दिया गया आदेश, यह उपबन्ध करता है कि संस्मारक का अनुरक्षण करार करने के लिए सक्षम स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, वहां संस्मारक के अनुरक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त व्यय सरकार द्वारा संदेय होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक स्वामी या अन्य व्यक्ति को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन करन का अवसर नहीं दिया जाता है।

धारा 6 के अधीन के करार का उल्लंघन प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश देने की शक्ति।

10. (1) यदि निदेशक की यह आशंका है कि किसी संरक्षित संस्मारक का स्वामी या अधिभोगी, धारा 6 के अधीन के करार के निबन्धनों के उल्लंघन में संस्मारक को नष्ट करने, हटाने, परिवर्तित करने, विरूपित करने या संकट में डालने या उसका दुरुपयोग करने या उसके स्थल पर या के समीप निर्माण करने का आशय रखता है, तो निदेशक, स्वामी या अधिभोगी को लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् करार का ऐसा कोई उल्लंघन प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई अवसर किसी ऐसी दशा में भले ही न दिया जा सके, जिसमें कि निदेशक का उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि वैसा करना समीचीन या साध्य नहीं है।

(2) इस धारा के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति सरकार से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, अपील कर सकेगा और सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

करारों का प्रवर्तन।

11. (1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन संस्मारक के अनुरक्षण के लिए करार द्वारा आबद्ध है कोई ऐसा कार्य, जो निदेशक की राय में संस्मारक के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो निदेशक नियत करे, करने से इन्कार करता है या करने में असफल रहता है, तो निदेशक ऐसा कोई कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, और स्वामी या अन्य व्यक्ति किसी ऐसे कार्य करने के व्ययों या व्ययों के ऐसे प्रभाग को जिसके संदाय के लिए स्वामी करार के अधीन दायी हो, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय व्ययों की रकम की बाबत कोई विवाद उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्देशित किया जाएगा, एसे निर्देशन पर जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय विक्रयों के क्रेताओं और स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाले व्यक्तियों का स्वामी द्वारा निष्पादित लिखत से आबद्ध होना।

12. हर व्यक्ति, जो भू राजस्व की बकाया या अन्य किसी लोक मांग के लिए विक्रय पर उस भूमि का क्रय करता है जिस पर ऐसा संस्मारक स्थित है जिसके बारे में कि धारा 5 या धारा 6 के अधीन तत्समय के स्वामी द्वारा कोई लिखत निष्पादित की गई है, और हर ऐसा व्यक्ति जो, उस स्वामी से व्युत्पन्न अधिकार से, उस के द्वारा या के अधीन, जिसने कोई ऐसी लिखत निष्पादित की है, संस्मारक पर किसी हक का दावा करता है, ऐसी लिखत से आबद्ध होगा।

13. यदि सरकार यह आशंका करती है कि किसी संरक्षित संस्मारक के नष्ट हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, दुरुपयोग में लाए जाने या क्षयग्रस्त होने दिए जाने का खतरा है, तो वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के उपबन्धों के अधीन उस संरक्षित संस्मारक का अर्जन ऐसे कर सकेगी, मानों कि संरक्षित संस्मारक का अनुरक्षण उस अधिनियम के अर्थ के भीतर लोक प्रयोजन है। संरक्षित संस्मारक का अर्जन।

14. (1) सरकार हर ऐसे संस्मारक का अनुरक्षण करेगी, जो धारा 13 के अधीन अर्जित किया गया है या जिसके बारे में धारा 5 में वर्णित अधिकारों में से कोई अधिकार अर्जित किए गए हैं। कतिपय संरक्षित संस्मारकों का अनुरक्षण।

(2) जब कि निदेशक ने धारा 5 के अधीन किसी संस्मारक की संरक्षकता संभाल ली है, तब उसकी ऐसे संस्मारक के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए, सभी युक्तियुक्त समयों पर, स्वयं या अपने अभिकर्ताओं, अधीनस्थों और कर्मकारों द्वारा संस्मारक का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए और ऐसी सामग्री लाने और ऐसे कार्य करने के प्रयोजन के लिए, जिन्हें वह उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे, संस्मारक तक पहुंच होगी।

15. निदेशक संरक्षित संस्मारक के अनुरक्षण के खर्च के निमित स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा और ऐसे साधारण या विशेष निदेश दे सकेगा, जैसे कि वह अपने द्वारा ऐसे प्राप्त किए गए किन्हीं अभिदायों के प्रबन्ध और उपयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे : स्वैच्छिक अभिदाय।

परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया कोई अभिदाय, उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए वह अभिदाय किया गया था, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अनुरक्षित कोई संरक्षित संस्मारक, जो पूजा का स्थान या पवित्र स्थान है, अपने स्वरूप से असंगत किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। दुरुपयोग, प्रदूषित या अपवित्र किए जाने से पूजा के स्थान का संरक्षण।

(2) जहां सरकार ने किसी संरक्षित संस्मारक को धारा 13 के अधीन अर्जित किया है, या जहां निदेशक ने धारा 5 के अधीन किसी संरक्षित संस्मारक का क्रय किया है या पट्टे पर लिया है या दान या वसीयत द्वारा प्रतिगृहीत किया है या उसकी संरक्षकता सम्भाली है, और ऐसा संस्मारक या उसका कोई भाग धार्मिक पूजा या आचारों के लिए किसी समुदाय द्वारा उपयोग में लाया जाता है, वहां निदेशक ऐसे संस्मारक या उसके भाग के प्रदूषित या अपवित्र किए जाने से संरक्षण के लिए सम्यक रूप से निम्नलिखित उपबन्ध करेगा :—

(क) उन शर्तों के अनुसार प्रवेश के सिवाय जो उक्त संस्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक भारसाधक व्यक्तियों की, यदि कोई हो, सहमति से विहित की गई हो, किसी ऐसे व्यक्ति का जो उस समुदाय की, जिसके द्वारा वह संस्मारक या उसका कोई भाग उपयोग में लाया जाता हो, धार्मिक प्रथाओं द्वारा इस प्रकार प्रवेश करने का हकदार न हो, उसमें प्रवेश प्रतिषिद्ध करके, या

(ख) कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर के, जिसे वह इस निमित आवश्यक समझे।

17. निदेशक, सरकार की मंजूरी से, :— किसी संस्मारक में सरकार के अधिकारों का त्याग।

(क) जहां कि अधिकार निदेशक द्वारा इस अधिनियम के अधीन, किसी संस्मारक के बारे में किसी विक्रय, पट्टा, दान या बिल के आधार पर अर्जित किए गए हैं, वहां अधिसूचना द्वारा इस प्रकार अर्जित अधिकारों को उस व्यक्ति के पक्ष में, त्याग

सकेगा, जो संस्मारक का तत्समय स्वामी हुआ होता, यदि ऐसे अधिकार अर्जित न किए गए होते, या

(ख) संस्मारक की कोई ऐसी संरक्षकता, त्याग सकेगा जो उसने इस अधिनियम के अधीन सम्भाली है।

संरक्षित संस्मारकों में जाने का अधिकार।

18. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जनता को किसी भी संरक्षित संस्मारक में जाने का अधिकार होगा।

संरक्षित क्षेत्र

संरक्षित क्षेत्रों में साम्पत्तिक अधिकारों के उपयोग पर निर्बन्धन।

19. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र का स्वामी या अधिभोगी भी है, संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भवन का सनिर्माण या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं करेगा या सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं करेगा :

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसे किसी क्षेत्र या उसके भाग का, खेती करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि ऐसी खेती में भूतल से एक फुट से अधिक मिट्टी खोदना अन्तर्वलित नहीं है।

(2) सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि संरक्षित क्षेत्र के भीतर उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति द्वारा सनिर्मित किसी भवन को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटा दिया जाए और यदि वह व्यक्ति आदेश के अनुपालन से इन्कार करता है या करने में असफल रहता है, तो निदेशक उस निर्माण को हटवा सकेगा और वह व्यक्ति एसे हटाए जाने के खर्च के संदाय के लिए दायी होगा।

संरक्षित क्षेत्रों को अर्जित करने की शक्ति।

20. यदि सरकार की यह राय हो कि किसी संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय हित और मूल्य से भिन्न किसी हित और मूल्य का कोई प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरावशेष है, तो वह ऐसे क्षेत्र का अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के उपबन्धों के अधीन ऐसे कर सकेगी मानों कि वह अर्जन उस अधिनियम के अर्थ के भीतर लोक प्रयोजन के लिए है।

पुरातत्वीय उत्खनन

संरक्षित क्षेत्रों में उत्खनन।

21. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 24 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई पुरातत्व अधिकारी या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन इस निमित की गई अनुज्ञप्ति धारणा करने वाला कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्ति धारी कहा गया है), निदेशक और स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उसमें उत्खनन कर सकेगा।

संरक्षित क्षेत्रों में भिन्न क्षेत्रों में उत्खनन।

22. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 24 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां पुरातत्व अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के भग्नावशेष या परिशेष हैं, वहां निदेशक और स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् वह या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और उसमें उत्खनन कर सकेगा।

23. (1) जहां कि धारा 21 या धारा 22 के अधीन किसी क्षेत्र में किए गए उत्खननों के परिणामस्वरूप किन्हीं पुरावशेषों, का पता चलता है, वहां, यथास्थिति, पुरातत्व अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी,-- — उन पुरावशेषों आदि का अनिवार्य क्रय, जिनका पता उत्खनन संक्रियाओं के दौरान चलता है।

(क) यथासाध्यशीघ्र ऐसे पुरावशेषों की परीक्षा करेगा और सरकार को ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियों से युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाए।

(ख) उत्खनन संक्रियाओं की समाप्ति पर, उस भूमि के स्वामी को, जिसमें ऐसे पुरावशेष का पता चलता है, ऐसे पुरावशेषों की प्रकृति का लिखित नोटिस देगा।

(2) जब तक कि उप-धारा (3) के अधीन ऐसे पुरावशेषों के अनिवार्य क्रय के लिए आदेश नहीं कर दिया जाता है तब तक, यथास्थिति, पुरातत्व अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी उन्हें ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा, जैसे कि वह ठीक समझे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार ऐसे किन्हीं पुरावशेषों के उनके बाजार भाव पर अनिवार्य क्रय के लिए आदेश दे सकेगी।

(4) जब उप-धारा (3) के अधीन किन्हीं पुरावशेषों के अनिवार्य क्रय के लिए आदेश दिया जाता है तब ऐसे पुरावशेष, आदेश की तारीख से सरकार में निहित हो जाएंगे।

24. धारा 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और धारा 22 और 23 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई भी पुरातत्व अधिकारी या अन्य प्राधिकारी किसी ऐसे क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है, पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए कोई उत्खनन या उसी प्रकार की अन्य संक्रिया सरकार के पूर्व अनुमोदन और ऐसे नियमों या निदेशों के, यदि कोई हो, जो सरकार इस निमित बनाए या दे, अनुसार लेने के सिवाय, नहीं लेगा या अन्य किसी व्यक्ति को लेने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा। — पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन आदि।

पुरावशेषों का संरक्षण.

25. (1) यदि सरकार का यह विचार हो कि उसकी मंजूरी के बिना कोई पुरावशेष या पुरावशेष वर्ग उस स्थान से, जहां वे हैं, नहीं हटाए जाने चाहिए, तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा कोई पुरावशेष या ऐसा कोई पुरावशेष वर्ग निदेशक की लिखित अनुज्ञा से हटाए जाने के सिवाए नहीं हटाया जाएगा। — पुरावशेषों के हटाए जाने को नियंत्रित करने की सरकार की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए हर आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी विशिष्टियों से युक्त होगा जैसी विहित की जाएं।

(3) अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सरकार को अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

26. (1) यदि सरकार को यह आशंका हो कि धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना में वर्णित किसी पुरावशेष के नष्ट हो जाने, हटाए जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, दुरुपयोग में लाए जाने या क्षयशील होने दिए जाने का, खतरा है या उसकी यह राय है कि उसके ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के कारण ऐसे पुरावशेष को लोक स्थान में परिरक्षित करना वांछनीय है, तो सरकार ऐसे पुरावशेष के बाजार भाव पर उसके अनिवार्य क्रय का आदेश दे सकेगी और तदुपरि निदेशक क्रय किए जाने वाले पुरावशेष के स्वामी को सूचना देगा। — सरकार द्वारा पुरावशेषों का क्रय।

(2) जहां किसी पुरावशेष के बारे में उप-धारा (1) के अधीन अनिवार्य क्रय की सूचना दी जाती है, वहां ऐसा पुरावशेष सूचना की तारीख से सरकार में निहित हो जाएगा।

(3) इस धारा द्वारा दी गई अनिवार्य क्रय की शक्ति का विस्तार सद्भावी धार्मिक आचारों के लिए वस्तुतः उपयोग में लाई जाने वाली किसी प्रतिमा या प्रतीक पर नहीं होगा।

प्रतिकर के सिद्धांत

हानि या नुक्सान के लिए प्रतिकर।

27. भूमि के किसी स्वामी या अधिभोगी को, जिसे ऐसी भूमि पर प्रवेश पर उत्खनन या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के प्रयोग के कारण कोई हानि, नुक्सान या भूमि से होने वाले लाभों में कमी हुई है, ऐसी हानि, नुक्सान या लाभों में कमी के लिए सरकार द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा।

बाजार भाव या प्रतिकर का निर्धारण।

28. (1) जहां किसी ऐसी सम्पत्ति के बाजार भाव के, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे भाव पर क्रय करने के लिए सशक्त है या उस प्रतिकर के, जो इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के बारे में सरकार द्वारा संदत्त किया जाना है, बारे में जहां कोई विवाद उद्भूत होता है वहां, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धाराओं 3, 5, 8 से 34, 45 से 47, 51 और 52 में जहां तक कि उन्हें लागू किया जा सके, उपबन्धित रीति से अभिनिश्चित किया जाएगा:

परन्तु उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन जांच करते समय कलैक्टर की सहायता दो अफसर करेंगे जिनमें से एक सरकार द्वारा नाम निर्देशित सक्षम व्यक्ति होगा और एक व्यक्ति स्वामी द्वारा नाम निर्देशित होगा या, स्वामी के ऐसे समय के भीतर, जो कलैक्टर द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए, अफसर नाम निर्देशित करने में असफल रहने की दशा में कलैक्टर द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति होगा।

(2) उप-धारा (1) में या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे पुरावशेष का बाजार भाव अवधारित करने में जिसके बारे में धारा 23 की उप-धारा (3) के अधीन या धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन अनिवार्य क्रय के लिए आदेश दिया गया है, उस पुरावशेष के मूल्य में उसके ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व का होने के कारण हुई वृद्धि गिनती में नहीं ली जाएगी।

प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

29. सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त की गई कोई भी शक्तियों, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे पदधारी या प्राधिकारी द्वारा भी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी।

शास्तियां।

30. (1) जो कोई—

(i) किसी संरक्षित संस्मारक को नष्ट करेगा, हटाएगा, क्षतिग्रस्त करेगा, परिवर्तित करेगा, विरूपित करेगा, खतरे में डालेगा या उसका दुरुपयोग करेगा, या

(ii) किसी संरक्षित संस्मारक का स्वामी या अधिभोगी होते हुए, धारा 9 की उप-धारा (1) या धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा, या

(iii) किसी संरक्षित संस्मारक से कोई रूपकृति, नक्काशी, प्रतिमा, निम्न उद्भृति, उत्कीर्ण लेख या इसी प्रकार की कोई अन्य वस्तु हटाएगा, या

(iv) धारा 19 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा, वह कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई व्यक्ति, धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना के उल्लंघन में किसी पुरावशेष को हटाएगा, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और किसी ऐसे उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह उस पुरावशेष को उस स्थान पर पुन: स्थापित करे जहां से वह हटाया गया था।

31. प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। अपराधों के विचारण की अधिकारिता।

32. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 30 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (iii) के अधीन का अपराध उस संहिता के अर्थ के भीतर संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना।

33. इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति से सरकार को देय कोई रकम, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुरातत्व अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर, भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी। सरकार को देय रकमों की वसूली।

34. यदि सरकार की यह राय है कि किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संरक्षण की अपेक्षा नहीं रह गई है तो वह अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि, यथास्थिति, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष इस अधिनियम के, प्रयोजनों के लिए संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र नहीं रह गया है। प्राचीन संस्मारक आदि जिनके संरक्षण की अपेक्षा नहीं रह गई है।

35. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए किसी प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के वर्णन में कोई लिपिकीय भूल, प्रत्यक्ष गलती या आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत कोई गलती, सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। भूलों को शुद्ध करने की शक्ति।

36. प्रतिकर के लिए कोई भी वाद और कोई भी दाण्डिक कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई किसी शक्ति के प्रयोग में किए गए या सद्भावपूर्वक किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के बारे में किसी लोक सेवक के विरुद्ध न होगी। अधिनियम के अधीन की गई कारवाई के लिए परित्राण।

37. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) संरक्षित संस्मारक के समीप खनन, खादान क्रिया, उत्खनन, विस्फोट या इसी

प्रकार की किसी अन्य संक्रिया का प्रतिषेध या अनुज्ञापन द्वारा या अन्यथा विनियमन या ऐसे संस्मारक से लगी हुए भूमि पर भवनों का सनिर्माण और अप्राधिकृत निर्माणों का हटाया जाना ;

(ख) संरक्षित क्षेत्रों में पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन करने के लिए अनुज्ञप्तियों और अनुज्ञायों का दिया जाना, वे प्राधिकारी जिनके द्वारा और वे निर्बन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, ऐसी अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी, अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिभूतियों का लिया जाना और वह फीस जो ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए ली जा सकेंगी ;

(ग) किसी संरक्षित संस्मारक में जनता के जाने का अधिकार और वह फीस, यदि कोई हो, जो उसके लिए प्रभारित की जाती है ;

(घ) धारा 23 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी पुरातत्व अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी की रिपोर्ट का प्ररूप और विषय वस्तु ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें धारा 19 या धारा 25 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और वे विशिष्टियां जो उनमें होनी चाहिए ;

(च) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों का प्ररूप और रीति और उसके लिये देय फीस और वह समय जिसके भीतर वे की जा सकेंगी ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश या सूचना की तामील की रीति ;

(ज) वह रीति जिसमें पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन या ऐसी ही अन्य संक्रियाएं की जा सकेंगी;

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबन्ध कर सकेगा कि उसका भंग—

(i) उप-धारा (2) के खण्ड (क) के प्रति निर्देश से बनाए गए नियम की दशा में, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ;

(ii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के प्रति निर्देश से बनाए गए नियम की दशा में, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा ;

(iii) उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के प्रति निर्देश से बनाए गए नियम की दशा में, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें कि वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बानाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरण या वातिलिकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृति।

38. (1) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) उन प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं या घोषित किए गए समझे गए हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई या लोप की गई बातों की बाबत प्रभावशील रहने के सिवाय, प्रभावशाली नहीं रहेगा।

2. पंजाब एनशियंट एण्ड हिस्टोरिकल मान्यूमैण्ट्स एण्ड आर्कियोलाजिकल साइट्स एण्ड रिमेंस ऐक्ट, 1964 (1964 का 20) जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन, हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में प्रवृत्त हैं, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत, बनाए गए नियम, निकाली गई अधिसूचनाएं या प्रारम्भ की गई या जारी की गई कार्यवाहियां हैं, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

3. इस अधिनियम की कोई बात ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष को, जिसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है और किसी पुरावशेष को, जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) लागू होता है, लागू नहीं होगी।

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-171002

नं0 डी0 एल0 आर-3/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश एग्रिकलचरल क्रेडिट आपरेशन एण्ड मिसलेनियस प्रोवीजन (बैंक) ऐक्ट, 1972 के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और उसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश कृषि उधार संक्रिया और प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 7)

(31 दिसम्बर, 1984 को यथाविद्यमान)

(24 मार्च, 1973)

कृषि उत्पादन और विकास के लिए बैंकों और अन्य संस्थागत उधार-अभिकरणों के माध्यम से उधार के पर्याप्त प्रवाह को सकर बनाने का और उससे सम्बद्ध अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि उधार संक्रिया और प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत की जाए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कृषि" और "कृषि प्रयोजन" के अन्तर्गत भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि की जुताई करना, भूमि का सुधार करना जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास भी है, फसलों को उगाना और कढ़ाई करना, उद्यान कृषि, वन-विज्ञान, रोपण और खेती और पशु प्रजनन, पशु पालन, डेरी फार्म उद्योग, बीज बनाना, मत्स्यपालन, मधुमक्खी-पालन, रेशम उत्पादन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन और ऐसे अन्य क्रियाकलाप होंगे जो साधारणत: कृषकों, डेरी फार्म, उद्योग कर्त्ताओं, पशु प्रजनन कर्त्ताओं, कुक्कुट पालकों और इसी प्रकार के क्रियाकलापों में जिनके अन्तर्गत कृषि उत्पादनों का विपणन, उनका भंडारण और परिवहन और ऐसे ही किसी क्रियाकलाप के सम्बन्ध में उपकरणों और मशीनरी का अर्जन भी है, लगे व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों द्वारा किए जाते हैं ;

(ख) "कृषक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि में लगा है ;

(ग) "कृषि उद्योग निगम" से ऐसी कोई कम्पनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य कृषि के विकास से सम्बद्ध या उसके लिए आशयित क्रियाकलाप का भार अपने ऊपर लेना है, और जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागत: केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है ;

(घ) "बैंक" से अभिप्रेत है,--

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

(iv) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित तत्स्थानीय कोई नया बैंक ;

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था;

(vi) कृषिक पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) के अधीन गठित कृषिक पुनर्वित निगम ;

(vii) उप-धारा (ग) में यथापरिभाषित कृषि उद्योग निगम ;

(viii) कृषिक वित्त निगम लिमिटेड, जो कम्पनी, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कम्पनी है ; और

(ix) कोई अन्य वित्तीय सस्था जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बैंक के रूप में अधिसूचित की जाए;

(ङ) "सहकारी सोसाइटी" से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को इस धारा के खण्ड (च) में यथा परिभाषित वित्तीय सहायता देना है और इसके अन्तर्गत सहकारी भूमि-बन्धक या विकास बैंक भी है, और

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वित्तीय सहायता" कृषिक प्रयोजन के लिए उधारों, अग्रिमों, प्रत्याभूतियों के रूप में या अन्यथा दी गई सहायता अभिप्रेत है ।

अध्याय--2

भूमि को और भूमि में हितों को बैंकों के पक्ष में अन्य संक्रांत करने के लिए कृषको के अधिकार

अन्य संक्रमण पर निर्बन्धनों का हटाया जाना । 3. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी रूढ़ि या परम्परा में किसी बात के होते हुए भी, किसी कृषक के लिए, जिसका भूमि को और उसमें किसी हित को अन्य-संक्रान्त करने का अधिकार निर्बन्धित है, किसी बैंक से वित्तीय सहायता अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उस बैंक के पक्ष में उस भूमि को या उसमें अपने हितों को अन्य संक्रान्त करना, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर भार या बंधक का सृजन भी है, विधिसम्मत होगा ।

4. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कृषकों के ऐसे किसी वर्ग या वर्गों में, जिनके पास भूमि का या उसमें किसी हित का अन्य संक्रमण करने का अधिकार नहीं है और जिनके अन्तर्गत (1) हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियम) अधिनियम, 1969 (1969 का 15) के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति, अधिभोग अभिधारी से भिन्न अभिधारी, (3) 1 नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों क अधिभोग अभिधारी, (4) राज्य सरकार के ऐसे पट्टेदार जो कृषक भी हैं, किसी बैंक से बिना किसी निर्बन्धन के ऐसे निर्बन्धन के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे बैंक के पक्ष में भूमि या हित का अन्य संक्रमण करने का अधिकार, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर भार या बन्धक का सृजन करने का अधिकार भी है, निहित कर सकेगी। राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कृषकों में, जिनके पास अन्य-संक्रमणीय अधिकार नहीं है, ऐसे अधिकार निहित कर सकेगी।

5. (1) कृषक के लिए यह विधिपूर्ण होगी कि वह किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपने स्वामित्वाधीन जंगम सम्पत्ति पर या अपने द्वारा उगाई गई फसलों पर, चाहे वे खड़ी हों या अन्यथा, या अपने द्वारा जोती गई भूमि से प्राप्त अन्य उपज पर, इस बात के होते हुए भी कि वह उस भूमि का स्वामी नहीं है, जिस पर या जिसमे फसल उगाई जाती है, उनमें अपने हित के विस्तार तक, उस बैंक के पक्ष में भार का सृजन कर। फसल और अन्य जंगम सम्पत्ति पर बैंक के पक्ष में भार।

(2) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कृषक को किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता क सम्बन्ध में किसी भार को किसी बैंक द्वारा उस कृषक को दी गई वित्तीय सहायता की बाबत उस कृषक द्वारा उगाई गई फसलों पर, चाहे वे खड़ी हों या अन्यथा हों, या किसी अन्य जंगम सम्पत्ति पर भार पर पूर्विक्ता नहीं होगी परन्तु यह तब, जब कि बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता सहकारी सोसाइटी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से पूर्व दी गई हो।

(3) बैंक, राज्य सरकार के पदधारी के माध्यम से, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाविहित किया जाए, बैंक के पक्ष में भारित फसल या अन्य उपज या अन्य जंगम वस्तुओं का, उसमें कृषक के हित के विस्तार तक करस्थम् और विक्रय कर सकेगा और ऐसे विक्रय के आगम को समस्त धन मद्दे जो उस कृषक से बैंक को देय हो, विनियोजित कर सकेगा।

6. (1) जहां कृषक किसी बैंक द्वारा उसको दी गई किसी वित्तीय सहायता की बाबत, ऐसी किसी भूमि पर या किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जो उसके स्वामित्वाधीन है या जिसमें वह हित रखता है, किसी भार का सृजन करता है, वही वह इसकी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप के या उसके उतने मिलते जुलते प्ररूप के, जितना परिस्थितियों में अनुज्ञेय हो, उसके अनुसार यह घोषित करते हुए घोषणा कर सकेगा कि वह बैंक द्वारा उसे दी गई वित्तीय सहायता को, प्रतिभूत करने के लिए, यथास्थिति, ऐसी भूमि पर या उसमें अपने हित पर या अन्य स्थावर सम्पत्ति पर बैंक के पक्ष में भार का सजृन करता है। घोषणा द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि पर भार का सृजन।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गई घोषणा में कृषक द्वारा उस बैंक की सम्मति से, जिसके पक्ष में यह घोषणा की गई है, समय-समय पर फेरफार किया जा सकेगा। ऐसा फेरफार उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको ऐसा फेरफार यदि वह मूल घोषणा होता तो धारा 9 के अधीन प्रभावी हुआ होता।

अध्याय-3

बैंकों के पक्ष में भार तथा बन्धक और उनकी पूर्विकताएं

भारों तथा बन्धकों के सृजन में निर्योग्यता का हटाया जाना।

7. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, और इस बात के बावजूद कि कोई भूमि या उसके हित किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में पहले ही भारित या बंधकित है, कृषक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बैंक द्वारा कृषक को दी गई किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में, ऐसी भूमि या उसमें हित पर ऐसे बैंक के पक्ष में भार या बन्धक का सजृन करें।

सरकार, बैंक और सहकारी सोसाइटी के पक्ष में भारों और बन्धकों की पूर्विकता।

8. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु भू-राजस्व के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी पूर्व दावे के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी ऐसे भार या बन्धक को, जो किसी भूमि या उसमें किसी हित पर राज्य सरकार या किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् सृजित किया गया है, ऐसी भूमि या उसमें हित पर ऐसे भार या बंधक पर पूर्विकता प्राप्त नहीं होगी, जो बैंक द्वारा किसी कृषक को दी गई वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में, उस कृषक द्वारा बैंक के पक्ष में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् और राज्य सरकार या सहकारी सोसाइटी के पक्ष में भार या बन्धक का सजृन किए जाने से पूर्व, सृजित किया गया है, और

(ख) किसी ऐसे भार या बन्धक को, जो बैंक द्वारा कृषक को दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में उसी बैंक के पक्ष में किसी भूमि या उसके हित पर सृजित किया गया है, किसी अन्य ऐसे भार या बन्धक पर पूर्विकता प्राप्त होगी, जो ऐसी भूमि या हित पर राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी या किसी अन्य बैंक से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में उस तारीख से पूर्व सृजित किया गया है, जिसको भार या बन्धक बैंक के पक्ष में सृजित किया गया था।

(2) जहां कृषि द्वारा राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी या बैंक या एक से अधिक बैंकों के पक्ष में एक ही भूमि या उसमें हित पर विभिन्न भार या बन्धक सृजित किए गए हों, वहां ऐसे किसी भार या बन्धक को, जो विकास प्रयोजनों के लिए सावधि उधार के रूप में राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी अथवा बैंक या बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में सृजित किया गया हो, राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी या किसी बैंक के पक्ष में सृजित अन्य भारों या बन्धकों पर पूर्विक्ता प्राप्त होगी, किन्तु यह तब जब कि विकास प्रयोजन के लिए सावधि उधार के रूप में ऐसी किसी वित्तीय सहायता को पूर्व सूचना राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी या बैंक को दी गई हो और राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटी या बैंक ने ऐसी वित्तीय सहायता के बारे में सहमति दे दी हो, और जहां सावधि उधार के रूप में दी गई वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में एक से अधिक ऐसे भार या बन्धक हों, वहां विकास प्रयोजनों के लिए सावधि उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में भारों या बन्धकों को उनके सृजन की तारीख के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विकास प्रयोजनों के लिए सावधि उधार" से ऐसी वित्तीय सहायता अभिप्रेत होगी, जिससे साधारणतया कृषि में अभिवृद्धि होगी और या कृषि आस्तियों का निर्माण होगा, किन्तु उसके अन्तर्गत कामकाज सम्बन्धी पूंजी व्यय, मौसमी कृषिक संक्रियाओं और फसलों के विपणन को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता नहीं होगी।

(3) इस धारा की कोई बात मात्र एक या अधिक सहकारी सोसाइटियों से, जिनके अन्तर्गत भूमि बन्धक बैंक भी हैं, उधारों को लागू नहीं होगी।

9. (1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई भार, जिसके सम्बन्ध में धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा की गई है या जिसके सम्बन्ध में उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन फेरफार किया गया है या ऐसा कोई बन्धक जो कृषक द्वारा किसी बैंक के पक्ष में उस बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निष्पादित किया गया है, यथास्थिति, ऐसे भार, फेरफार या बन्धक की तारीख से उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, परन्तु यह तब जब कि बैंक उस उप-रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर भारित या बन्धकित संपूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियत समय के भीतर ऐसे भार, फेरफार या बन्धक का सृजन करने वाले दस्तावेज की एक प्रति जो बैंक के ऐसे कर्मचारी द्वारा, जो उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजता है। बैंकों के पक्ष में भार और बन्धक का रजिस्ट्रीकरण।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट भार या फेरफार या बन्धक के सम्बन्ध में घोषणा प्राप्त करने वाला उप-रजिस्ट्रार उसकी प्राप्ति पर यथा शक्यशीघ्र उस निमित रखे जाने वाले रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसी घोषणा फेरफार या बन्धक की प्राप्ति के तथ्यों को अभिलिखित करेगा।

10. जब कभी कृषक द्वारा किसी बैंक के पक्ष में भूमि या उसमें किसी हित पर भार या बन्धक का सृजन किया जाता है तो बैंक अपने पक्ष में भार या बन्धक की विशिष्टियों की संसूचना तहसीलदार या ऐसे राजस्व अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त पदाभिहित करे, दे सकेगा। तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी, उस भूमि से सम्बन्धित अधिकार के अभिलेख में, जिस पर भार या बन्धक का सृजन किया गया है, भार या बन्धक की विशिष्टियों को नोट करेगा। बैंक के पक्ष में सृष्ट भार या बन्धक का अधिकारों के अभिलेख नोट किया जाना।

11. (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कृषक, जिसने भूमि या उसमें हित पर किसी भार या बन्धक का सृजन करके किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, जब तब वित्तीय सहायता बकाया रहती है, ऐसी भूमि या उसमें हित को, यदि उसने बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय पहले ही उसे पट्टे पर न दे दिया हो, या उसमें अभिधृति अधिकारों का सृजन न कर दिया हो, बैंक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना पट्टे पर नहीं देगा या उसके सम्बन्ध में किन्हीं अभिधृति के अधिकारों का सृजन नहीं करेगा। उधार लेने वाले कृषक द्वारा अभिधृति के सृजन पर निर्बन्धन।

(2) इस धारा के उल्लंघन में दिया गया कोई पट्टा या सृजित अभिधृति का अधिकार शून्य होगा।

अध्याय-4

बैंकों द्वारा देयों की वसूली के लिए व्यवस्था

न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा कुर्की और बिक्री के वर्जन का हटाया जाना ।

12. किसी विधि में कि कोई बात बैंक को ऐसी किसी भूमि या उसमें हितों को जो उसके पक्ष में कृषक द्वारा किसी वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के लिए भारित या बन्धक किया गया है सिविल न्यायालय के माध्यम से कुर्क और विक्रय कराने और ऐसे विक्रय-आगम को उस कृषक से उसे देय सभी धन मद्दे जिनके अन्तर्गत ऐसे खर्चे और व्यय भी हैं जो न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किए जाएं, उपयोजन करने से किसी भी रीति से निवारित नहीं करेगी ।

विहित प्राधिकारी के माध्यम से बैंक के शोध्यों की वसूली ।

13. (1) राज्य सरकार का कोई पदधारी, जिसे राज्य सरकार ने इस धारा के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है, किसी बैंक के आवेदन पर, किसी कृषक या उसके वारिस या विधिक प्रतिनिधि को यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि कृषक द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता लेखे बैंक को देय किसी राशि का संदाय ऐसी किसी भूमि के या उसमें किसी हित के विक्रय द्वारा किया जाए, जिस पर ऐसे धन का संदाय भारित या बन्धकित है :

परन्तु किसी ऐसी भूमि के या उसमें किसी हित के, या किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति के, जिस पर धन का संदाय भारित या बन्धकित है, विक्रय के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि विहित प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, कृषक पर या कृषक के वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर ऐसे नोटिस की, जिसमें शोध्य राशियों का संदाय करने की उससे अपेक्षा की गई हो, तामील न कर दी गई हो।

(2) उप-धारा (1) के निर्बन्धनों के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उसका निष्पादन उसी रीति से किया जायगा, जिस से जिसे ऐसे न्यायालय की डिक्री का निष्पादन किया जाता है ।

(3) इस धारा की कोई बात किसी बैंक को अपने अधिकारों का प्रवर्तन ऐसी किसी अन्य रीति से, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उसे अनुज्ञेय हो, कराने का यत्न करने से विवर्जित नहीं करेगी ।

स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और व्ययन का बैंक का अधिकार ।

14. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैंक को ऐसी किसी कृषि-भूमि को या उसमें हित को या किसी अन्य जंगम सम्पत्ति को, जो कृषक द्वारा ली गई किसी वित्तीय सहायता के बारे में बैंक के पक्ष में भारित या बंधकित की गई हो, स्वयं अर्जित करने की शक्ति होगी, परन्तु यह तब जब कि उक्त भूमि का या उसमें हितों का या किसी अन्य जंगम सम्पत्ति का विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाना ईप्सित हो और किसी भी व्यक्ति ने उसको ऐसे मूल्य पर क्रय करने की प्रस्थापना न की हो, जो बैंक को देय धन का उसे संदाय करने के लिए पर्याप्त हो।

(2) बैंक, जो उप-धारा (1) के अधीन अपने में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए भूमि या उसमें हित का या किसी अन्य जंगम सम्पत्ति का अर्जन करता है, उसका विक्रय द्वारा व्ययन ऐसी अवधि के भीतर करेगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) यदि बैंक को उप-धारा (1) के अधीन अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि को, उप-धारा (2) में यथा उपदर्शित उसके विक्रय के लम्बित रहने तक, पट्टे पर देना हो, तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, उस सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

(4) इस धारा की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा भूमि या उसमें हित का विक्रय उस समय प्रवृत्त ऐसी विधि के उपबन्ध के अध्यधीन होगा जो गैर-कृषकों द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी विशिष्ट अनुसूचित जन-जाति या अनुसूचित जाति का न हो, भूमि के क्रय का या भूमि अर्जन की अधिकतम सीमा को या भूमि के खण्डकरण को निर्बन्धित करते हों।

15. तत्समय प्रवृत्त ऐसी किसी विधि को कोई बात, जो भूमि-धृति पर अधिकतम सीमा या सीमा स्थापित करती है, बैंक को धारा 14 की शर्तों के अनुसार भूमि का अर्जन करने पर या उसे तब तक धारण करने पर, जब तक बैंक उस भूमि का धारा 14 में उपबन्धित रीति से या अन्यथा, ऐसे मूल्य पर, जो उसके शोध्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, विक्रय करने की स्थिति में न हो, लागू नहीं होगी। अधिकतम सीमा से अधिक भूमि के अर्जन पर निर्बन्धन से बैंकों को छूट।

अध्याय-5

बैंकों द्वारा सहकारी सोसाइटियों का विसपोषण

16. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंक के लिए किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनना विधिपूर्ण होगा। बैंक सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का पात्र है।

17. हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी के लिए किसी बैंक से उधार लेना विधिपूर्ण होगा। बैंकों से उधार लेने की सहकारी सोसाइटियों की शक्ति।

18. (1) बैंक को ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसने या तो वित्तीय सहायता के लिए बैंक से आवेदन किया है या जो पहले ही दी गई वित्तीय सहायता के कारण बैंक का ऋणी है। बैंक द्वारा सहकारी सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण।

(2) निरीक्षण, सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी से, बैंक के अधिकारी द्वारा या बैंक के वेतनग्राही कर्मचारी-वृन्द के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जा सकेगा।

(3) ऐसा निरीक्षण करने वाले, बैंक के अधिकारी या क बैंके वेतनग्राही कर्मचारीवृन्द के किसी अन्य सदस्य की, उसक निरीक्षणाधीन सहकारी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षाधीन लेखा-बहियों, अभिलेखों, प्रतिभूतियों, नकदी तथा अन्य सम्पत्तियों तक, सभी युक्तियुक्त समयों पर पहुंच होगी और उसे ऐसी सोसाइटी द्वारा ऐसी जानकारी, विवरणों

तथा विवरणियों का प्रदाय भी किया जायेगा, जिनकी वह उसे सोसाइटी की वित्तीय स्थिति को और उस सोसाइटी को पहले दी गई या आगे दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए, अपेक्षा करे।

बैंक और सहकारी सोसाइटी के बीच विवाद।

19. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी सोसाइटी का वित्तपोषण करने वाले बैंक और इस प्रकार वित्तपोषित सहकारी सोसाइटी के बीच, सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार सम्बन्धी कोई विवाद, जो सोसाइटी या उसकी समिति द्वारा सोसाइटी के वेतनग्राही कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से सम्बन्धित विवादों से भिन्न हो, विवाद के किसी भी पक्षकार द्वारा सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) जहां कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया गया कोई विषय, पूर्वगामी उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, विवाद है या नहीं, वहां वह प्रश्न सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विवादों का निपटाया जाना।

20. (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि उसे निर्दिष्ट या उसके ध्यान में लाया गया कोई विषय धारा 19 के अर्थान्तर्गत विवाद है, तो रजिस्ट्रार विवाद का विनिश्चय स्वयं करेगा या उसे अपने द्वारा नियुक्त किसी नाम निर्देशिती या नाम निर्देशिती-बोर्ड को निपटाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(2) जहां कोई विवाद पूर्वगामी उप-धारा के अधीन विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाता है, वहां रजिस्ट्रार, किसी भी समय, अभिलिखित कारणों से, ऐसे विवाद को अपने नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड से वापिस ले सकेगा और उस विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकेगी या उसे अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड को विनिश्चय के लिए पुनः निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) धारा 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि रजिस्ट्रार उचित समझे, तो किसी विवाद के बारे में कार्यवाहियों को, यदि सहकारी सोसाइटी और बैंक के बीच विवाद प्रश्न में विधि तथा तथ्य जटिल प्रश्न अन्तर्विष्ट है तो तब तक के लिए निलम्बित कर सकेगा, जब तक कि उस प्रश्न का विचारण विवाद के किसी पक्षकार द्वारा संस्थित नियमित वाद द्वारा नहीं कर लिया जाता है। यदि ऐसा कोई विवाद रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाहियां निलम्बित करने वाले आदेश से दो मास के भीतर संस्थित नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार ऐसी कार्रवाई करेगा जो उप-धारा (1) में उपबन्धित है।

विवादों की सुनवाई की प्रक्रिया।

26. अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन विवाद की सुनवाई करने वाला रजिस्ट्रार या उसकी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड विवाद की सुनवाई ऐसी रीति में करेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए।

रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड का विनिश्चय।

22. जब विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, तब रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड, विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद पर विवाद के पक्षकारों द्वारा कार्रवाइयों के सम्बन्ध में किए गए व्ययों और रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड को शोध्य फीसों और व्ययों पर अधिनिर्णय दे सकेगा। ऐसा कोई अधिनिर्णय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि वह रजिस्ट्रार द्वारा विवाद के विनिश्चय के लिए नियत अवधि के अवसान के पश्चात् किया गया था और वह,

राज्य के सहकारी अधिकरण द्वारा अपील पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

अधिनिर्णीत धन की वसूली ।

23. धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती-बोर्ड द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय, यदि उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र पर सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा, और उसी रीति में निष्पादित किया जायेगा, जिसमें ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है ।

सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बैंक की शक्तियां ।

24. (1) यदि सहकारी सोसाइटी अपने ऋण, उस बैंक, जिससे उसने उधार लिया है, संदत्त करने में इस कारण असमर्थ है कि उसके सदस्यों ने अपने द्वारा देय धन का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है, तो बैंक ऐसी सोसाइटी की समिति को निर्देश कर सकेगा कि वह ऐसे सदस्यों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के अधीन कार्रवाई करके कार्यवाही करे ।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की समिति बैंक से ऐसा निर्देश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, अपने व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहती है, तो बैंक स्वयं ऐसे व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी दशा में हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के उपबन्ध, तदधीन बनाए गए नियम और उप-विधियां ऐसे ही लागू होंगी, मानो कि उक्त उपबन्धों, नियमों और उपविधियों में सोसाइटी या उसकी समिति के प्रति किए गए सभी निर्देश बैंक के प्रति निर्देश है ।

(3) जहां किसी बैंक ने अपनी ऋणी सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध कोई डिक्री या अधिनिर्णय अभिप्राप्त कर लिया है, वहां बैंक ऐसे धन को एक तो उस सहकारी सोसाइटी की आस्तियों से और दूसरे उस सहकारी सोसाइटी के सदस्यों से सोसाइटी को देय उनके ऋणों के परिमाण तक, वसूल करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

सोसाइटियों की लेखा-परीक्षा निरीक्षण और जांच रिपोर्टों का बैंकों को उपलब्ध होना ।

25. सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार, किसी सहकारी सोसाइटी का वित्त-पोषण करने वाले बैंक का ध्यान ऐसी सोसाइटी की हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के उपबन्धों के अनुसार की गई प्रत्येक लेखा परीक्षा, जांच या निरीक्षण के समय ध्यान में आई त्रुटियों की ओर दिलायेगा और ऐसी प्रत्येक लेखा परीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की एक-एक प्रति का, यदि बैंक द्वारा लिखित रूप में उसकी मांग की जाए, प्रदाय भी करेगा ।

अध्याय—6

प्रकीर्ण

साहुकारी और कृषक ऋण राहत से संबंधित विधानों से छूट ।

26. साहुकारी या कृषक ऋण राहत से सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई भी बात, किसी कृषक द्वारा बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता पर लागू नहीं होगी ।

अविभक्त हिन्दू कुटुम्बों के कर्ता द्वारा निष्पादित बंधक।

27. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे बंधक, जो कृषिक प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में किसी बैंक के पक्ष में अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के कर्ता द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् निष्पादित किए गए हैं, ऐसे अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य पर आबद्धकर होंगे।

(2) जहां किसी बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी बन्धक को इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि वह अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया था जो उसके सदस्यों पर चाहे ऐसे सदस्य वयस्क हो गए हों या नहीं, आबद्धकर नहीं है, तो उसे साबित करने का भार ऐसे पक्षकार पर होगा जो उसका अभिकथन करता है।

1956 के अधिनियम सं० 32 की धारा 8 का उपान्तरित रूप में लागू होना।

28. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (1956 का 32) की धारा 8, बैंक के पक्ष में किए गए बंधकों को इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उसमें न्यायालय के प्रति किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह कलैक्टर या उसके नामनिर्देशिती के प्रति निर्देश है और कलैक्टर या उसके नामनिर्देशिती के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त को होगी।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

29. (1) राज्य सरकार उन सभी विषयों का उपबन्ध करने के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है, नियम बना सकेगी और ऐसे सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन होंगे।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व सदन नियम में कोई उपान्तरण करता है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान से पूर्व सदन यह विनिश्चित करता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, वह नियम निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

धारा 6 (1) के अधीन घोषणा

मैं.......................(आयु....................वर्ष) जो........का निवासी हूं और..........................बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हूं, हिमाचल प्रदेश कृषि उधार सक्रिया और प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित यह घोषणा करता हूं कि मैं..............................नीचे विनिर्दिष्ट भूमि का स्वामी हूं, भूमि में अभिधारी के रूप में हित रखता हूं, और मैं एतद्द्वारा, उस वित्तीय सहायता को, जो

बैंक मुझे दे, और समस्त भावी सहायता को, यदि कोई हो, जो बैंक मुझे दे, उस पर ब्याज और खर्चों और व्ययों सहित प्रतिभूत करने के लिए बैंक के पक्ष में उक्त भूमि या भूमि में हित पर भार का सृजन करता हूं।

राजस्व सम्पदा का नाम	तहसील का नाम	जिले का नाम	खसरा सं0	सीमाएं दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम	क्षेत्र एकड़ों में
1	2	3	4	5	6

निर्धारण		लगभग मूल्य	विलंगम यदि कोई हो		टिप्पणियां यदि कोई हों
रुपए	पैसे		स्वरूप	रकम	
7		8	9	10	11

जिस के साक्ष्य स्वरूप मैं, श्री .... इसके नीचे वर्ष एक हजार नो सौ .... के .... के दिन अपने हस्ताक्षर करता हूं।

साक्षी।

निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में उपरि नामित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त किया गया।

(1) ....

(2) ....

घोषणा कर्ता के हस्ताक्षर।

द्वारा प्रमाणित

अभिनन्दन सहित तहसीलदार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि घोषणा के अधीन सृजित ....भार के विवरण को अधिकार के

अभिलेख में सम्मिलित किया जाए और बैंक को इसके अभिलेख के लिए वापिस किया जाए ।

प्रबन्धक/अभिकर्ता
............बैंक
.........स्थान ।

................बैंक के प्रबन्धक या अभिकर्ता को अभिनन्दन सहित वापिस किया जाता है । घोषणा के अधीन सृजित भार 19............ के .... के ....दिन को अधिकार के अभिलेख में सम्यक्‌रूप से सम्मिलित कर लिया गया है ।

तहसीलदार ।

अभिनन्दन सहित उप-रजिस्ट्रार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि घोषणा के अधीन सृजित ....भार के विवरण को उनके कार्यालय में अभिलिखित किया जाए ।

प्रबन्धक/अभिकर्ता
............बैंक
............स्थान ।

.... बैंक के प्रबन्धक/अभिकर्ता को अभिनन्दन सहित वापिस किया जाता है। घोषणा के अधीन सृजित भार को सम्यक रूप से अभिलिखित कर लिया गया है ।

उप-रजिस्ट्रार ।

शिमला-2, 4 सितम्बर, 1986

सं0 डी0एल0आर0-1/86.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश एरियल रोप-वे ऐक्ट, 1968" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग, अधिनियम, 1968

(1969 का अधिनियम सं 7)

(11 मार्च, 1969)

हिमाचल प्रदेश में आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण और कायकरणी को प्राधिकृत करने, सुकर बनाने और विनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो:—

(क) "आकाशी रज्जु मार्ग" से यात्रियों, पशुओं या सामान के सार्वजनिक प्रवहन के लिए आकाशी रज्जु मार्ग या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, और इस के अन्तर्गत ऐसे आकाशी रज्जु मार्ग के प्रयोजनार्थ या सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए सभी रज्जु, स्तम्भ, वाहन, स्टेशन कार्यालय भाण्डागार कर्मशालाए, मशीनरी और अन्य संकर्म और उससे अनुलग्न समस्त भूमि है;

(ख) "वाहक" मे अभिप्रेत है रज्जु से लटका या निलंबित या कर्षित कोई यान या पात्र जो यात्रियों, पशुओं का माल के प्रवहन या आकाशी रज्जु मार्ग के कायकरण से सम्बन्धी किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में "सर्किल" से उस प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "कलैक्टर" से किसी जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियुक्त, कोई व्यक्ति भी है;

(ङ) "निरीक्षक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षक अभिप्रेत है;

(च) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है नगर पालिका समिति, लघु नगर-समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद् या अन्य प्राधिकरण जो, नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध का विधिवत् हकदार है या जिस में उसका नियन्त्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा सौंपा गया है;

(छ) "शासकीय राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है;

(ज) "आदेश" से इस नियम के अधीन आकाशी रज्जु मार्ग के निर्माण को प्राधिकृत करने वाला आदेश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उस आदेश को प्रतिस्थापित, संशोधित, विस्तारित या प्रतिसंहृत करने वाला अतिरिक्त आदेश भी है;

(ञ) "स्तम्भ" से रज्जु के वहन, निलम्बन या आलम्बन के लिए कोई स्तम्भ ट्रेसिल (मौखिका) दण्ड धूनी, टेक, या प्रयुक्ति या उसका कोई भी भाग अभिप्रेत है ;

(ञा) "विहित" से सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) "संप्रवर्तक" से अभिप्रेत है—

(1) राज्य सरकार,

(2) स्थानीय प्राधिकारी,

(3) कोई व्यक्ति,

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कोई कम्पनी या,

(5) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) में यथा परिभाषित कोई रेल कम्पनी,

जिसके पक्ष में धारा 7 के अधीन आदेश दिया गया है या जिस पर आकाशी रज्जु मार्ग के निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग के लिए उस अधिनियम द्वारा या तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा संप्रवर्तक को प्रदत्त अधिकार या उस पर अधिरोपित दायित्व न्यागत हुए हैं;

(थ) "रेट" के अन्तर्गत व्यक्तियों, पशुओं या माल के वहन के लिए कोई भाड़ा, प्रभार या अन्य संदाय है;

(द) "रज्जु के अन्तर्गत किसी वाहन के प्रवहण या कर्षण के लिए कोई केबल, तार, रेल या रास्ता है, चाहे वह नम्य हो या कठोर, यदि ऐसे केबल, तार, रेल या रास्ते का कोई भाग ऊपर से ले जाया जाता है और स्तम्भों से निलम्बित या उन पर आलम्बित किया गया है, और

(ध) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

अध्याय 2

प्रक्रिया और प्रारम्भिक अन्वेषण

रियायत के लिए आवेदन। 3. प्रस्तावित आकाशी रज्जु मार्ग की बाबत राज्य सरकार से भिन्न किसी आशयित सप्रवर्तक द्वारा, आवश्यक प्रारम्भिक अन्वेषण करने की अनुज्ञा के लिए, प्रत्येक आवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

आवेदन की अन्तर्वस्तु। 4. प्रत्येक ऐसे आवेदन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उपक्रम का और प्रस्तावित आकाशी रज्जु मार्ग का अनुसरण किए जाने वाले मार्ग का वर्णन;

(ख) संनिर्माण एवं प्रबन्ध की पद्धति का तथा आकाशी रज्जु मार्ग से समुदाय को प्रत्याशित लाभों का वर्णन;

(ग) उसके संनिर्माण की लागत का लगभग प्राक्कलन;

(घ) प्रमाण के लिए प्रस्तावित अधिकतम न्यूनतम "रेट" का विवरण;

(ङ) अनुमानित परिचालन व्यय तथा संभावित लाभों का विवरण;

(च) ऐसे मानचित्र प्लान (योजना), खण्ड, आरेख और अन्य जानकारी जो प्रस्ताव के बारे में कोई विचार बनाने के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

प्रारम्भिक अन्वेषण।

5. इस अधिनियम तथा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार संप्रवर्तक को ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुज्ञा दे सकेगी जैसे कि आवश्यक हो और उससे ब्योरेवार प्राक्कलन, योजना (प्लान) मंजूरी विनिर्देश और ऐसी और सूचनाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसा वह प्रस्ताव पर पूर्ण विचार करने के लिए आवश्यक समझे। संप्रवर्तक इस धारा के अधीन उपगत व्यय के लिए किसी भी स्थिति में सरकार से किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 3

आकाशवाणी रज्जुमार्ग के संनिर्माण को प्राधिकृत करने वाले आदेश

संनिर्माण प्राधिकृत करने वाले प्रस्तावित आदेश का प्रकाशन और ऐसे आदेश की अन्तर्वस्तु।

6. (1) राज्य सरकार किसी संप्रवर्तक द्वारा दिए गए आवेदन पर और धारा 5 के अनुसार दिए गए ब्योरे पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार उचित समझे, ऐसे संप्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर या किसी विनिर्दिष्ट मार्ग के साथ-साथ आकाशी रज्जुमार्ग के संनिर्माण को प्राधिकृत करने वाले प्रस्तावित आदेश के प्रारूप को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर सकेगी।

(2) प्रारूप के साथ एक सूचना इस कथन के साथ प्रकाशित की जायेगी कि ऐसा कोई आदेश या सुझाव जो कोई व्यक्ति प्रस्तावित आदेश के बारे में देना चाहता है तो यदि वह सूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख को या उस से पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है तो प्राप्त किया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, दिए जाने वाले आदेश के आशय की सार्वजनिक सूचना उक्त क्षेत्र के भीतर या उक्त मार्ग के साथ सुविधाजनक स्थानों पर दिलवायेगी और जहां तक सुविधापूर्वक संभव हो ऐसी भूमि के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी को जिस पर ऐसा मार्ग स्थित है, ऐसा ही सार्वजनिक सूचना की तामील करायेगी और प्रस्तावित आदेश की बाबत ऐसे किसी आक्षेप यह सुझाव पर, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, विचार करेगी।

(4) प्रस्तावित आदेश के प्रारूप में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

(i) वह समय, जिसके भीतर आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी जुटाई जायेगी;

(ii) वह समय, जिसके भीतर संनिर्माण प्रारम्भ किया जायेगा;

(iii) वह समय, जिसके भीतर संनिर्माण कार्य पूरा किया जाएगा;

(iv) वह शर्त, जिसके अधीन संप्रवर्तक को सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रियायत प्रत्याभूति (गारंटी) या वित्तीय सहायता दी जा सकेगी;

(v) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्रय का अधिकार;

(vi) लेखा संपरीक्षा और लेखा सम्बन्धी नियम;

(vii) विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम् सम्बन्धी नियम;

(viii) संरचनात्मक डिजाईन, सामग्री की क्वालिटी, सुरक्षा के तथ्यों, प्रतिबलों की संगणना की पद्धति के बारे में विनिर्देश तथा अन्य ऐसे तकनीकी जो आवश्यक समझे जाएं;

(ix) संविधान द्वारा यथापरिभाषित रेल के सड़कों और संचार के अन्य सार्वजनिक रास्तों ऊपर और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मन्जूरी ऐसी रेल पर आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण सम्बन्धी नियम;

(x) वे शर्तें जिनके अधीन संप्रवर्तक अपने अधिकारों का सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को किसी व्यक्ति को अथवा किसी व्यक्ति को विक्रय या अन्तरण कर सकेगा।

(xi) वे शर्तें, जिनके अधीन आकाशी रज्जु मार्ग का ग्रहण सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या अपने द्वारा संप्रवर्तक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाने के लिए किया जा सकेगा।

(xii) आकाशी रज्जु मार्ग पर उपयोग की जाने वाली गतिदायी शक्ति और वे शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अनुसार ऐसी शक्ति का उपयोग किया जा सकेगा;

(xiii) रज्जु के विभिन्न भागों के अधीन अनुरक्षित किया जाने वाला न्यूनतम "हेडवे";

(xiv) आकाशी रज्जु मार्ग के अधीन वे बिन्दु जिन पर सेतु या रक्षक संनिर्मित किए जायेंगे और रखे जायेंगे;

(xv) वह यातायात जो रज्जु मार्ग पर वहन किया जा सकेगा वह यातायात जिसको वहन करने के लिए संप्रवर्तक आबद्ध होगा और वह यातायात जिसको वहन करने से वह इन्कार कर सकेगा;

(xvi) वह अधिकतम और न्यूनतम "रेट" जो संप्रवर्तक द्वारा प्रभारित किया जा सकेगा, वे परिस्थितियां जिन में तथा वह रीति जिसमें वे "रेट" सरकार द्वारा पुनरीक्षित किए जा सकेंगे;

(xvii) संप्रवर्तक के आवेदन के मन्जूर किए जाने की दशा में, उसके द्वारा प्रतिभूति के रुपए में जमा की जाने वाली रकम, यदि कोई हो;

(xviii) ऐसी अन्य बातें जो सरकार आवश्यक समझे।

अन्तिम आदेश।

7. (1) यदि ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो विनिर्दिष्ट तारीख को या उस से पूर्व प्रारूप के बारे में दिए गए हों, विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि आवेदन को किसी रूपांतरण सहित या उसके बिना या किसी निर्बन्धन या शर्त के अधीन या उसके बिना, मन्जूर किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश दे सकेगी।

(2) आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण को प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और ऐसा प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि आदेश ठीक ऐसे ही दिया गया है जैसे कि इस धारा द्वारा अपेक्षित है।

किसी आदेश द्वारा दी गई शक्तियों का समाप्त होना।

8. यदि आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण के लिए किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत संप्रवर्तक उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर—

(क) आकाशी रज्जु मार्ग को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूंजी की सम्पूर्ण रकम जुटाने में सफल नहीं होता है;

(ख) आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण में सारवान प्रगति नहीं करता है;

(ग) उसका संनिर्माण पूरा नहीं करता है;

तो ऐसे आदेश द्वारा संप्रवर्तक को दी गई शक्तियों का प्रयोग किया जाना, जब तक कि सरकार ऐसा विनिर्दिष्ट समय बढ़ा न दे, समाप्त हो जायेगा।

अतिरिक्त आदेश।

9. (1) राज्य सरकार, संप्रवर्तक के आवेदन पर, आदेश को किसी अतिरिक्त आदेश द्वारा, प्रतिसंहृत, संशोधित या विस्तारित कर सकेगी।

(2) अतिरिक्त आदेश के लिए आवेदन उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अध्याधीन दिया जायेगा मानों कि किसी आदेश के लिए आवेदन दिया जाता है।

(3) यदि राज्य सरकार आवेदन को मन्जूर कर लेती है, तो वह इस बात के सिवाये कि उक्त आवेदन में मांगे गए अधिकारों, शक्तियों और प्राधिकारों को संप्रवर्तक की लिखित सम्मति के बिना अतिरिक्त आदेश द्वारा वर्धित, उपांतरित या निबन्धित नहीं किया जायेगा, अतिरिक्त आदेश उसी रीति में देगी जैसे कि आदेश दिया जाता है।

खोले जाने से पूर्व आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षण।

10. कोई भी आकाशी रज्जु मार्ग किसी भी प्रकार के यातायात के लिए तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक कि राज्य सरकार ने, उस प्रयोजन के लिए उसके खोले जाने की मन्जूरी आदेश द्वारा न दे दी है। इस धारा के अधीन, राज्य सरकार की मन्जूरी तक तब नहीं दी जायेगी जब तक कि निरीक्षक ने राज्य सरकार को यह लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है कि—

(क) उसने आकाशी रज्जु मार्ग और अनुलग्नों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कर लिया है,

(ख) चल और नियत विमाओं (आकारों) तथा आदेश के अधीन विहित अन्य शर्तों का अनुपालन किया गया है,

(ग) आकाशी रज्जु मार्ग ऐसे यातायात के लिए, जिसके लिए आशयित है, पर्याप्त रूप में परिसज्जित है,

(घ) धारा 27 और धारा 32 द्वारा विहित उप-विधियां और कार्य प्रणाली नियम, उन धाराओं में विहित रीति से सम्यक् रूप से बनाए गए, अनुमोदित और प्रख्यापित किए गए हों,

(ङ) उसके विचार में आकाशी रज्जु मार्ग सार्वजनिक यातायात के लिए उपयुक्त है और उसका प्रयोग, उसका उपयोग करने वाली जनता या उस पर नियोजित व्यक्ति या साधारण जनता को किसी खतरे के बिना किया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्ध, आकाशी रज्जु मार्ग के अतिरिक्त खण्डों को खोलने पर पथान्तर लाइनों पर और ऐसे किसी संकर्म के, जिसे उप-धारा (1) के उपबन्ध लागू होते हैं या जिसे उसका इस धारा द्वारा विस्तार किया गया है संरचनात्मक स्वरूप को सारवान रूप से प्रभावित करने वाले परिवर्तनों या पुनः संनिर्माण पर विस्तारित होंगे।

निरीक्षकों की नियुक्ति।

11. (1) राज्य सरकार आकाशी रज्जु मार्ग के निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन निरीक्षकों द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए संप्रवर्तकों पर प्रभारित की जाने वाली फीस नियत कर सकेगी।

(2) ऐसे निरीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे समय-समय पर आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षण करे और यह अवधारित करे कि क्या वे ठीक स्थिति में रखे गए हैं तथा जनता को सुरक्षा और सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए और इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत रूप से चलाए जा रहे हैं।

निरीक्षकों की शक्तियां।

12. निरीक्षक ऐसे किन्हीं कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए जिसे इस अधिनियम के अधीन करने के लिए वह प्राधिकृत है या उससे अपेक्षित है भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) में यथा परिभाषित लोक सेवक समझा जाएगा और इस प्रयोजन के लिए उसके पास ऐसी शक्तियां होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन विहित की जाएं।

निरीक्षकों को दी जाने वाली सुविधाएं।

13. संप्रवर्तक और उसके सेवक तथा अभिकर्ता, निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसे अधिरोपित कर्तव्यों का पालन और प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी युक्त सुविधाएं उपबन्ध करेंगे।

अध्याय–4

आकाशी रज्जु मार्गों का संनिर्माण और अनुरक्षण

संकर्म निष्पादित करने का संप्रवर्तक का प्राधिकार।

14. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और ऐसी स्थावर संपत्ति की दशा में जो संप्रवर्तक की नहीं है, लोक प्रयोजन और कंपनियों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संप्रवर्तक–

(क) ऐसा संवेक्षण कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझता है;

(ख) किसी स्थावर सम्पत्ति में या उसके ऊपर स्तम्भ खड़ा और अनुरक्षित कर सकेगा;

(ग) किसी सथावर सम्पत्ति मे या उसके ऊपर साथ-साथ या आर पार से कोई रज्जु निलम्बत या अनुरक्षित रख सकेगा;

(घ) ऐसे सेतु पुलियां, नालियां, तटबन्ध तथा सड़कें, बना सकेगा जैसी कि आवश्यक हों;

(ङ) ऐसी मशीनरी, कार्यालय, स्टेशन, भाण्डागार अन्य भवन संकर्म और सुविधाएं परिनिर्मित या संनिर्मित कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे, और

(च) आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण अनुरक्षण, परिवर्तन मरम्मत और उपयोग के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा :

परन्तु संप्रवर्तक इस उप-धारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई उसके द्वारा प्रभावित सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी के आक्षेप के होते हुए भी कर सकेगा, यदि कलैक्टर, लिखित सूचना द्वारा ऐसे स्वामी तथा अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्रवाई करने की अनुज्ञा देता है।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन आदेश देते समय क्लैकटर ऐसे प्रतिकर क्षतिपूर्ति की पूंजी या वार्षिक किराए या दोनों की रकम जो उसकी राय में उसके द्वारा प्रभावित सम्पत्ति के स्वामी को या स्थावर सम्पत्ति की दशा में उसके स्वामी या अधिभोगी को या उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति को संप्रवर्तन द्वारा दी जानी चाहिए और उनमें से प्रत्येक को संदत्त की जाने वाली रकम नियत कर सकेगा।

मुरम्मत करने या दुर्घटना के निवारण के लिए भूमि पर अस्थायी प्रवेश।

15. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए संप्रवर्तक या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सेवक या अभिकर्ता, किसी आकाशी रज्जु मार्ग का परीक्षण, मुरम्मत या परिवर्तन करने या किसी दुर्घटना के निवारण के लिए ऐसे रज्जु मार्ग से लगी किसी स्थावर सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो आवश्यक हों।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संप्रवर्तक या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत, यथास्थिति, सेवक या अभिकर्ता यथा संभव कम नुकसान करेगा और इस प्रकार किए गए किसी नुक्सान के लिए उसके द्वारा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा और ऐसे प्रतिकर की रकम के बारे में किसी विवाद की दशा में वह विषय क्लैकटर के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

16. (1) जहां आकाशी रज्जु मार्ग के निकट खड़ा या पड़ा कोई वृक्ष या जहां ऐसी कोई संरचना या अन्य वस्तु जो आकाशी रज्जु मार्ग के बारे में धारा 7 के अधीन कोई आदेश जारी किए जाने के बाद ऐसे आकाशी रज्जु मार्ग के समीप रखी गई या गिरी है, आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण, अनुरक्षण, परिवर्तन या उपयोग करने में विघ्न या बाधा डालती है या उसके द्वारा विघ्न या बाधा डाली जाना संभाव्य है, वह क्लैकटर, संप्रवर्तक के आवेदन पर, ऐसे वृक्ष संरचना या वस्तु को वहां से जैसा कि वह, उचित समझे, हटवा सकेगा या उसके बारे में अन्यथा कार्रवाई कर सकेगा। बाधाओं का निराकरण।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ "वृक्ष" के अन्तर्गत कोई झाड़ी, बाड़, जंगल वृद्धि या अन्य पादप भी समझे जाएंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय क्लैकटर हितबद्ध व्यक्ति के लिए ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा जैसा कि क्लैकटर युक्तियुक्त समझे. और क्लैकटर संप्रवर्तक से ऐसी रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

17. धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक, धारा 14 की उप-धारा (2), धारा 15 या धारा 16 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी मामले के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा किन्तु इन धाराओं में से किसी के भी अधीन, क्लैकटर, द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश और धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन उसके द्वारा लिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन होगा, किन्तु धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन की गई कार्रवाई के कारण परिणामतः क्लैकटर द्वारा दिए गए प्रतिकर के अधिनिर्णय की दशा में वह अधिनिर्णय जिला न्यायधीश द्वारा पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा। राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अध्यधीन क्लैकटर के आदेश।

अध्याय 5

आकाशी रज्जु मार्ग का कार्यकरण

18. संप्रवर्तक को, आकाशी रज्जु मार्ग के कार्य करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अधिकतम और न्यूनतम "रेट" के अधीन रहते हुए जैसा कि विहित किया जाए या आदिष्ट किया जाए, समय-समय पर आकाशी रज्जुमार्ग पर यात्रियों, पशुओं या माल वहन के लिए "रेट" नियत करने की शक्ति होगी। संप्रवर्तक रेट नियत कर सकता है।

19. कोई भी संप्रवर्तक, किसी भी विशिष्ट व्यक्ति या किसी भी विशिष्ट वर्णन के यातायात को या उसके पक्ष में किसी भी बात के बारे में कोई असम्यक् या अयुक्तियुक्त अधिमान या लाभ नहीं देगा या किसी भी विशिष्ट व्यक्ति या किसी भी विशिष्ट वर्णन के यातायात को किसी भी बात के बारे में कोई असम्यक् या अयुक्तियुक्त प्रतिकूल प्रभाव या अलाभ के अध्याधीन नहीं करेगा। पक्षपात के बिना आकाशी रज्जु मार्ग का कार्य करने का संप्रवर्तक का कर्तव्य।

20. यदि आकाशी रज्जु मार्ग के कार्यकरण के अनुक्रम में निम्नलिखित में से कोई दुर्घटना घटित होती है, अर्थात् :— दुर्घटनाओं की रिपोर्ट की जाना।

(क) ऐसी कोई दुर्घटना जिसमें मानव जीवन की हानि किसी मानव को गम्भीर शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुंचती है;

(ख) इस प्रकार की कोई दुर्घटना जिसमें यथा पूर्वोक्त मानव जीवन की हानि या गम्भीर शारीरिक क्षति पहुंचती है या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुंचती है;

(ग) किसी अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना जिसे सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, तो संप्रवर्तक, अनावश्यक विलम्ब के बिना दुर्घटना की सूचना राज्य सरकार तथा निरीक्षक को भेजेगा और आकाशी रज्जुमार्ग के उस स्टेशन का भारसाधक, जो उस स्थान के निकट हो जहां दुर्घटना घटित हुई है, संप्रवर्तक का सेवक या जहां कोई स्टेशन नहीं है वहां आकाशी रज्जुमार्ग के उस क्षण का भारसाधक, जिसमें दुर्घटना घटित हुई है यथा सम्भव न्यूनतम विलम्ब के, उस जिला के मैजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना घटित हुई है तथा उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर यह घटित हुई है ऐसे अन्य मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जिसे सरकार इस निमित नियुक्त करे, दुर्घटना की सूचना देगा और यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई हो या किसी मानव को गम्भीर शारीरिक क्षति पहुंची हुई है, तो उसकी सूचना निकटतम औषधालय को भी भेजेगा।

आकाशी रज्जु मार्ग को बन्द करने और पुनः खोलने की शक्ति।

21. (1) यदि सार्वजनिक यातायात के लिए खोले गए आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षक की यह राय है कि आकाशी रज्जु मार्ग का या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग का उपयोग जनता को खतरे की आशंका के बिना नहीं किया जा सकता था किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के यातायात का वहन करने के लिए ठीक स्थिति में नहीं है, तो वह उस राय का, उसके आधारों सहित कथन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे यह आदेश दे सकेगी कि उस आदेश में उपवर्णित कारणों से आकाशी रज्जुमार्ग को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग को सभी यातायात या यातायात के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के लिए बन्द कर दिया जाए:

परन्तु आत्यातिक दशा में निरीक्षक राज्य सरकार के आदेशों के लम्बित रहने तक आकाशी रज्जु मार्ग के किसी भाग के, कार्यकरण के निलम्बन का आदेश दे सकेगा। जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन आकाशी रज्जु मार्ग या उसका कोई भाग किसी यातायात के लिए बन्द कर दिया जाता है तो उसे ऐसे यातायात के लिए तब तक पुनः नहीं खोला जाएगा जब तक कि उसका निरीक्षण नहीं कर लिया जाता और विहित रीति से उसे खोलने की पुनः मंजूरी नहीं दे दी जाती।

अध्याय 6

आकाशी रज्जु मार्ग का रोके जाना

आकाशी रज्जु मार्ग के रोके जाने पर संप्रवर्तक की शक्तियों की समाप्ती।

22. यदि, आकाशी रज्जुमार्ग को खोलने के पश्चात् किसी समय राज्य सरकार को समाधानप्रद रूप से यह सिद्ध हो जात है कि संप्रवर्तक ने आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग के कार्य करण को ऐसे पर्याप्त कारण के बिना, रोक दिया है, जो राज्य सरकार की राय में ऐसे रोके जाने के लिए समुचित उदाहरण नहीं है, तो राज्य सरकार, यदि ठीक समझे, तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि ऐसे रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में संप्रवर्तक की शक्तियों का ऐसी तारीख से जैसी कि वह अवधारित करें, अन्त हो जाएगा और इस पर उक्त शक्तियां समाप्त और पर्यवसित हो जाएगी।

स्पष्टीकरण.—आकाशी रज्जु मार्ग का कार्यकरण चालू नहीं रखा गया समझा जाएगा यदि वह धारा 7 के अधीन प्रकाशित आदेश में अवधारित अवधि तक या, यदि अवधि इस प्रकार अवधारित न की गई हो, तो उसका तीन मास तक त्याग कर दिया गया हो।

23. (1) आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, धारा 22 के अधीन जब राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी पूर्वोक्त रीति से अवधारित तारीख से दो मास के अवसान के पश्चात् किसी भी समय यथास्थिति ऐसे आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग को, हटा सकेगा, और संप्रवर्तक ऐसे नियुक्त अधिकारी को, हटाने की ऐसी लागत जैसी कि उस अधिकारी द्वारा उपगत प्रमाणित की जाए, संदत्त करेगा। संप्रवर्तक की शक्तियों के समाप्ति होने पर आकाशी रज्जु मार्ग को हटाने की राज्य सरकार की शक्तियां।

(2) यदि संप्रवर्तक ऐसी प्रमाणित लागत की रकम को, प्रमाणपत्र या उसकी प्रति का उसे परिदान किए जाने के पश्चात् एक मास के भीतर संदत्त करने में असफल रहता है तो ऐसा अधिकारी या तो सार्वजनिक नीलामी द्वारा या प्राईवेट विक्रय द्वारा, तथा संप्रवर्तक को कोई पूर्व सूचना दिए बिना और ऐसे किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके पास उक्त रकम की वसूली के लिए हो ऐसे हटाए गए रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग की सामग्री का विक्रय और व्यय न कर सकेगा, और विक्रय के आगामी में से, यथापूर्वोक्त प्रमाणित लागत की और विक्रय की लागत की रकम का स्वंय को संदाय और प्रतिपूर्ति करेगा और ऐसे आगम के शेष भाग को, यदि कोई हो, संप्रवर्तक को संदत्त करेगा।

अध्याय 7

आकाशी रज्जु मार्ग का क्रय

24. (1) जहां राज्य सरकार संप्रवर्तक है, वहां राज्य सरकार किसी भी समय उपक्रम या उसके किसी भाग को; आकाशी रज्जु मार्ग को क्रय करने की राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों की शक्ति।

(क) स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित निबन्धों और शर्तों के अधीन और उनकी सम्मति से; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार और अन्तरिती के बीच परस्पर तय पायी जाए, अन्तरित कर सकेगी।

(2) जहां राज्य सरकार संप्रवर्तक नहीं है, वहां राज्य सरकार—

(क) ऐसी समय सीमा के भीतर तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो आदेश में इस निमित विनिर्दिष्ट की जाए, या

(ख) यदि आदेश में समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो आदेश की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के अवसान पश्चात् छह मास के भीतर और सात वर्ष की प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवधि की समाप्ति के पश्चात् छह मास के भीतर; या

(ग) धारा 22 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो मास के भीतर या धारा 26 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् छः मास के भीतर;

लिखित सूचना द्वारा, संप्रवर्तक से, आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग को राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को विक्रय

करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस पर संप्रवर्तक उसका विक्रय आदेश में विनिर्दिष्ट निबन्धनों पर करेगा, या यदि आदेश में निबन्धन विनिर्दिष्ट न किए गए हों, तो आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग तत्समय प्राप्त होने वाले मूल्य के निबन्धनों पर करेगा। आकाशी रज्जु मार्ग के तत्समय का मूल्य विक्रय के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आकाशी रज्जुमार्ग या उसके किसी भाग में संप्रवर्तक को व्युत्पन्न औसत वार्षिक शुद्ध उपार्जन की रकम का पच्चीस गुणा समझा जाएगा :

परन्तु यदि धारा 7 के अधीन प्रकाशित आदेश में निबन्धन विनिर्दिष्ट नहीं है, तो संप्रवर्तक को इस प्रकार संदेय कुल रकम आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग पर प्रवतक के कुल पूंजीगत व्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) संप्रवर्तक द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को विक्रय करने के लिए उप-धारा (2) के अधीन अध्यापेक्षा तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसका किया जाना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।

(4) यदि इस धारा के अधीन कोई विक्रय किया गया है, तो विक्रय किए गए उपक्रम या उसके किसी भाग के बारे में संप्रवर्तक के सभी अधिकार, शक्तियां और प्राधिकार या जहां कोई अधिसूचना धारा 22 या 26 के अधीन प्रकाशित की गई हो, वहां विक्रय किए गए उपक्रम या उसके किसी भाग की बाबत अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व संप्रवर्तक के सभी अधिकार, शक्तियां और प्राधिकार, उन प्राधिकारियों को अन्तरित किए जाएंगें जिन्हें उपक्रम या उसके भाग का अन्तरण किया गया है और वे उस प्राधिकारी में निहित होंगे और उसके द्वारा उसी रूप में प्रयोग किए जाएंगे, मानों कि आकाशी रज्जु मार्ग इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेशों के अधीन उस के द्वारा बनाया गया हो।

(5) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उनके अनुसार, दो या दो से अधिक स्थानीय प्राधिकारी उपक्रम का या उसके उतने भाग का जो उनके सर्विस में पड़ता है, क्रय कर सकेंगे।

(6) जहां क्रय उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के अधीन किया गया हो, वहां,––

(क) उपक्रम, क्रेता में संप्रवर्तक के या उपक्रम से बद्ध किन्हीं ऋणों बन्धकों या समरूप बाध्यताओं से मुक्त, रूप से निहित होगा :

परन्तु ऐसे कोई ऋण बन्धक या समरूप बाध्यताएं, उपक्रम के प्रतिस्थापन में क्रय धन से संलग्न होंगी, और

(ख) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, धारा 7 के अधीन प्रकाशित आदेश पूर्ण प्रवृत्त रहेगा और वह क्रेता, संप्रवर्तक समझा जाएगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार क्रय करना पसन्द करती है वहां क्रय के पश्चात् जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, धारा 7 के अधीन आदेश का आगे प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा।

(7) इस धारा की उप-धारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन क्रय करने का चयन करने की कम से कम दो वर्ष की लिखित सूचना यथास्थिति, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संप्रवर्तक को दी जाएगी।

(8) इसमें, इसमे पूर्व अन्तर्विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से क्रय करने के अपने विकल्प का अधित्यजन कर सकेगा और संप्रवर्तक के साथ एक करार उसके द्वारा उपक्रम का कार्यकरण उस समय तक करने के लिए जब तक आदेश में वर्णित उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निकट पश्चात्-वर्ती अवधि की समाप्ति नहीं हो जाती ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर कर सकेगा जैसा कि करार में कथित किया जाए।

25. जहां, धारा 24 में निर्दिष्ट किसी अवधि की समाप्ति पर, न तो राज्य सरकार और न ही स्थानीय प्राधिकारी उपक्रम का क्रय करता है, और धारा 7 के अधीन प्रकाशित आदेश संप्रवर्तक के आवेदन पत्र पर या उसकी सम्मति से प्रतिसंहृत कर दिया जाता है तो संप्रवर्तक को उपक्रम की सभी भूमि, भवन, संकर्म, माल, संयन्त्र और उपकरणों को ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, व्यय न करने का विकल्प होगा। जब क्रय करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया और आदेश सम्मति द्वारा प्रतिसंहृत कर दिया गया है, तब विक्रय करने की संप्रवर्तक की शक्ति।

अध्याय 8

संप्रवर्तक की असमर्थता या दिवालियापन

26. (1) यदि आकाशी रज्जु मार्ग के खोले जाने के पश्चात् किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि संप्रवर्तक दिवालिया हो गया है या आकाशी रज्जु मार्ग के अनुरक्षण में या जनता की भलाई में उसको चलाने में या सभी प्रकार से असमर्थ है, तो राज्य सरकार ऐसे किसी कथन पर विचार करने के पश्चात् जो संप्रवर्तक देना चाहे और ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि ऐसे आकाशी रज्जु मार्ग की बाबत संप्रवर्तक की शक्तियों का, ऐसी घोषणा की तारीख से छः मास के अवसान पर, अन्त हो जाएगा और इस पर उक्त शक्तियां उस अवधि के अवसान पर समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगी। संप्रवर्तक की असमर्थता या दिवालियापन के मामले में कार्यवाहीयां।

(2) उक्त छः मास के अवसान के पश्चात् किसी समय राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त नियुक्त अधिकारी आकाशी रज्जु मार्ग को उसी रीति से और लागत के संदाय के बारे में उन्हीं उपबन्धों के और उनकी सभी प्रकार से वसूली के लिए ऐसे उपचारों के अधीन रहते हुए, जैसा कि धारा 23 के अधीन हटाये जाने की दशा में है हटा सकेगा।

अध्याय 9

उप-विधियां

27. संप्रवर्तक, उप-धारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित के बारे में इस अधिनियम से संगत उप-विधियां बना सकेगा :— उप-विधियां बनाने की संप्रवर्तक की शक्ति।

(क) उस गति को विनियमित करना जिस पर वाहकों को चालित या नोदित किया जाना है ;

(ख) यह घोषित करना कि कौन से माल खतरनाक या घृणोत्पादक समझे जाएंगे और ऐसे माल के वहन को विनियमित करना ;

(ग) प्रत्येक वाहक में वहन किए जाने वाले यात्रियों और पशुओं की अधिकतम संख्या और माल के अधिकतम भार को विनियमित करना ;

(घ) आकाशी रज्जु मार्ग पर वाष्प शक्ति या कोई अन्य यांत्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति के उपयोग को विनियमित करना ;

(ङ) संप्रवर्तक के सेवकों के आचरण को विनियमित करना ;

(च) ऐसे निबन्धों और शर्तों को विनियमित करना जिन पर संप्रवर्तक परेषिती या ऐसे माल के स्वामी की ओर माल को भांडागारित करेगा या किसी स्टेशन पर रखेगा; और

(छ) आकाशी रज्जु मार्ग पर यात्रा एवं उसके उपयोग, कार्यकरण और प्रबन्ध को साधारणतः विनियमित करना।

(2) ऐसी उप-विधियों में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उन में से किसी का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने का जो पच्चास रुपए से अनधिक राशि का हो सकेगा, दायी होगा और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन बनाई गई किसी उप-विधि के भंग की दशा में उसके लिए उत्तरदायी संप्रवर्तक सेवक एक मास के वेतन से अनाधिक कोई राशि का समपहृत करेगा जिस राशि की उसके वेतन से संप्रवर्तक द्वारा कटौती की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन बनाई गई उप-विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है और उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता है :

परन्तु ऐसी कोई उप-विधि इस प्रकार तब तक पुष्ट नहीं की जाएगी जब तक कि वह संप्रवर्तक द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, पहले प्रकाशित नहीं कर दी गई है।

अध्याय 10

अनुपूरक उपबन्ध

विवरणीयां।

28. संप्रवर्तक आकाशी रज्जु मार्ग के बारे में ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में जैसा विहित किया जाए पूंजी और राजस्व व्यय, प्राप्तियों और यातायात की विवरणियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

सडकों, रेलों ट्राम मार्गों और जल मार्गों का संरक्षण।

29. कोई संप्रवर्तक आकाशी रज्जु मार्ग के संनिर्माण, मुरम्मत, कायकरण या प्रबन्ध के दौरान किसी सार्वजनिक सड़क, रेल, ट्राम मार्ग या जल मार्ग को कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंचाएगा या अस्थायी रूप से भिन्न जैसा भी आवश्यक हो, किसी सार्वजनिक सड़क, रेल, ट्राम मार्ग या जलमार्ग पर यातायाता में बाधा या विघन नहीं डालेगा।

संप्रवर्तक की ओर से भूमि का अधिग्रहण।

30. राज्य सरकार किसी आकाशी रज्जु मार्ग का संनिर्माण विस्तार, कायकरण या प्रबन्ध करने के लिए किसी भूमि को प्राप्त करने के इच्छुक किसी संप्रवर्तक द्वारा आवेदन दिए जाने पर यदि वह ठीक समझे, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी ओर से, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो।

अति प्रभार के प्रतिदाय और हानियों के लिए प्रतिकर के दावों की अधिसूचना।

31. कोई व्यक्ति, आकाशी रज्जु मार्ग द्वारा वहन किए गए पशुओं या माल के बारे में अति प्रभार के प्रतिदाय का या इस प्रकार वहन किए जाने के लिए प्रदत्त पशुओं या माल की हानि, विनाश या क्षय के लिए प्रतिकर का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि प्रतिदाय या प्रतिकार के लिए उसका दावा उसके द्वारा या उसकी ओर से लिखित रूप में, संप्रवतक को आकाश रज्जु मार्ग द्वारा वहन किए जाने के लिए पशुओं का माल के परिदान की तारीख से छः मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अध्याय 11

राज्य सरकार द्वारा नियम

32. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगी। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विहित किए जा सकेंगे।

(क) धारा 11 के अधीन नियुक्त निरीक्षक की शक्तियां और कर्त्तव्यों ;

(ख) वे दुर्घटनाएं, जिनकी सूचना राज्य सरकार और निरीक्षक को दी जाएंगी ;

(ग) दुर्घटना घटित होने पर संप्रवर्तक के सेवकों और पुलिस अधिकारियों तथा मैजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य ;

(घ) माल की विभिन्न वर्गों के लिए अधिकतम और न्यूनतम "रेट" जिन्हें संप्रवर्तक धारा 18 के अधीन नियत कर सकेगा ;

(ङ) वह मानक विस्तार और विनिर्देश जिसके अनुरूप आकाशी मार्ग होगा ;

(च) धारा 27 के अधीन बनाई गई उप-विधियों के पूर्व प्रकाशन की रीति ;

(छ) वे अन्तराल, जिन पर कि संप्रवर्तक धारा 28 के अधीन विवरणियां प्रस्तुत करेगा और वे प्ररूप जिन्हें ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी।

(ज) वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं की तामील की जाएगी ;

(झ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन, आकाशी रज्जु मार्ग और रेल, ट्राम मार्ग या अन्य आकाशी रज्जु मार्ग के बीच माल की पारगामी "बुकिंग" की अनुज्ञा दी जा सकेगी ;

(ञ) आकाशी रज्जु मार्ग का सुरक्षित रूप से तथा दक्षतापूर्ण कार्यकरण ;

(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन और वह रीति जिस में संप्रवर्तकों को धारा 14 और धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा,

(ठ) किसी आकाशी रज्जु मार्ग या उसके किसी भाग को पुनः खोलने के लिए धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदनों को निपटाने के लिए प्रक्रिया और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसा आकाशी रज्जु मार्ग पुनः खोला जा सकेगा,

(ड) संप्रवर्तक के लेखाओं को तैयार करना, प्रस्तुत करना और उसकी परीक्षा करना,

(ढ) विवादों को निपटाने के लिए माध्यमस्थम् की प्रणाली,

(ण) संप्रवर्तक तथा अन्य व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों, आवेदनों, जांच, निरीक्षण और की गई सेवाओं के सम्बन्ध में फीसें, और

(त) इस अधिनियम के अधीन आवेदन-पत्रों को देने, सुनने और निपटाने की प्रक्रिया

(3) इस धारा के अधीन बनाये गए सभी नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा, यह अवधि एक सत्र में या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो

सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है, तो नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहल की गई किसी कार्रवाई की विधि, मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 12

अपराध, शास्तियां तथा गिरफ्तारियां

अधिनियम का अनुपालन करने में से प्रवर्तक की असफलता।

33. यदि संप्रवर्तक,—

(क) धारा 7 के अधीन किए गए आदेश की शर्तों के अनुसार से अन्यथा आकाशी रज्जु मार्ग का संनिर्माण या अनुरक्षण करता है; या

(ख) धारा 10 के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में आकाशी रज्जु मार्ग को खोलता है या उसके खो जाने की अनुज्ञा देता है, या

(ग) धारा 13 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(घ) धारा 14, 15 और 16 के अधीन क्लैक्टर या धारा 17 के अधीन राज्य सरकार या किसी जिला न्यायधीश द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रतिकर का युक्तियुक्त समय के भीतर संदाय करने में असफल रहता है; या

(ङ) धारा 19 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है; या

(च) किसी दुर्घटना की धारा 20 द्वारा यथा अपेक्षित सूचना भेजने में असफल रहता है; या

(छ) धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसार आकाशी रज्जु मार्ग को बन्द करने में असफल रहता है या उस धारा की उप-धारा (2) के उल्लंघन में किसी आकाशी रज्जु मार्ग को पुनः खोलता है; या

(ज) धारा 22 या धारा 26 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी आकाशी रज्जु मार्ग के बारे में संप्रवर्तक की शक्तियों का प्रयोग करता है ; या

(झ) धारा 27 या धारा 28 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(ञ) धारा 29 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(ट) धारा 32 के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है;

तो वह इस अधिनियम की अपेक्षाओं के विनिर्दिष्ट पालन के या ऐसे किसी अन्य उपचार के, जो उसके विरुद्ध उपलभ्य हो प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी के बारे में साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध करता रहा है, 50 रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

34. यदि कोई व्यक्ति बिना विधिपूर्ण कारण के, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर होगा, संप्रवर्तक के किसी सेवक को उसके कर्तव्य का पालन करने में बाधा या अड़चन डालता है, तो वह जुर्माने से जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। संप्रवर्तक के सेवक को उसके कर्तव्य का पालन करने में विधि विरुद्धतथा बाधा डालना।

35. यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिपूर्ण कारण के, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर होगा, जानबूझ कर निम्नलिखित कोई कार्रवाई करेगा, अर्थात्-- आकाशी रज्जु मार्गों में विधि विरुद्धता हस्तक्षेप करना।

(क) आकाशी रज्जु मार्ग के या उससे सम्बंध संकर्मों के किसी भाग में हस्तक्षेप करेगा, उसे हटायेगा या उसमें परिवर्तन करेगा ;
(ख) कोई कार्य इस रीति से करेगा जिससे आकाशी रज्जु मार्ग पर चल रहे किसी वाहक को बाधा पहुंचती है;
(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में वर्णित कोई बात भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अर्थान्तिर्गत करने का प्रयत्न करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो सिविल न्यायालय में उसके विरुद्ध उपलभ्य हो, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

36. यदि कोई व्यक्ति इस आशय से या यह जानते हुए कि उससे आकाशी रज्जु मार्ग पर यात्रा कर रहे या उस पर होने वाले किसी व्यक्ति को खतरा हो सकता है, धारा 35 के खण्ड (क) खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित कोई बात करेगा या आकाशी रज्जु मार्ग के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अर्थान्तिर्गत कोई कार्य करेगा, करने का प्रयत्न करेगा या करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह कारावास से, जो चौदह वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। आकाशी रज्जु मार्ग पर यात्रा कर रहे या उस पर होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को संकट करने वाले कार्यों या प्रयत्नों के लिये दण्ड।

37. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 35 के अधीन कोई अपराध करेगा जिससे आकाशी रज्जु मार्ग के कार्य करण में बाधा पहुंचती है या धारा 36 के अधीन कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करेगा, तो वह वारण्ट या लिखित प्राधिकार के बिना संप्रवर्तक के किसी सेवक द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनको ऐसा सेवक या अधिकारी अपनी सहायता के लिए बुलाए, गिरफ्तार किया जा सकेगा। कतिपय धाराओं के विरुद्ध अपराध के लिये गिरफ्तारी और तदुपरित प्रक्रिया।

(2) ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को, यथासम्भव न्यूनतम विलम्ब के, ऐसे किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जायेगा जिसे उसको विचारण करने का या विचारण के लिए उसे सुपुर्द करने का प्राधिकार हो।

निरसन और व्यावृत्ति । 38. पंजाब एरियल रोपवेज ऐक्ट, 1966 (1966 का 5), जैसा कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए क्षेत्रों में प्रवृत्त है, एतदद्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या प्रारम्भ या जारी की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन प्रारम्भ या जारी की गई समझी जायेगी।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।